राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–250 / 2025

भवानी शंकर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संस्थापन अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु जैन एवं श्री देवेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण परि. बायतू द्वितीय, बाडमेर से परि.जालौर ग्रामीण, जालौर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी की जन्मतिथि 12.07.1965 है। इस प्रकार अपीलार्थी 59 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण कर चुका है एवं उसकी सेवानिवृत्ति में मात्र 7 माह से कम का समय शेष रहा है। अपीलार्थी की सेवानिवृति के सम्बन्ध दस्तावेज तैयार किये जाने हैं, जिसमें कठिनाई उत्पन्न होगी। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान से 160 किमी. दूर स्थानान्तरण किया गया है, जिससे अपीलार्थी को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पदोन्नति पद पर पदस्थापन करते हुए किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)